



संख्या-36/2026/116/60-1-2026

(सी-2042265) (पार्ट-4)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उOप्रO, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1

लखनऊ::दिनांक: 05 अगस्त, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-975/निदेOमOकO/प्रोबेO/चाOहेOलाO-3/2026-27, दिनांक 28.07.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-49 के राजस्व पक्ष में व्यवस्थित लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-13-चाइल्ड हेल्पलाइन-(के०-100/रा०-00) के मानक मद-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन योजना (CHL) हेतु तृतीय किशत के रूप में भारत सरकार से प्राप्त Mother Sanction की धनराशि रूO 3,19,86,300/- (रुपये तीन करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार तीन सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये निदेशक, महिला कल्याण के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुO-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 एवं 26.09.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।
- (3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।
- (6) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
- (7) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों/घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए SNA को प्रेषित की जायेगी तथा SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
- (9) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अतः SNA स्तर पर पुनः परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार बिल साइबर ट्रेजरी को अग्रेषित किये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,19,86,300/- (रुपये तीन करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार तीन सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 लेखाशीर्षक-2235021020113-चाइल्ड हेल्पलाइन (के०.100/रा०.00.के.) मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू०ओ० संख्या-E-4-76-X-2026-27, दिनांक 04.08.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)

संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
- 3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित साइबर कोषागार।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।